प्रेस नोट दिनांक 19.01.2023

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा NBW वारण्टी को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर महोदय द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 19.01.2023 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा NBW वारण्टी नफीस पुत्र खलील उर्फ नन्हा निवासी पीर वाली गली मो0 जनकनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 43/20 धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। वारण्टी को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नफीस पुत्र खलील नन्हा निवासी पीर वाली गली मो0 जनकनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 💠 उनि० श्री इन्द्रसेन, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- ❖ है0कां0 250 कविन्द्र, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- 💠 का० 1005 सुभाष, थाना जनकपुरी, स0पुर।



दिनांकः 19.01.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

जंगल ग्राम उमाही कलां में नाजायज शस्त्रो का प्रर्दशन करने वाला एक और वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- तमन्चा/कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.12.को थाना क्षेत्र मे 22ं अज्ञात लोगो द्वारा जंगल ग्राम उमाही कला में अपने वर्चस्व को लेकर नाजायज शस्त्रों का प्रदर्शन व फायरिंग की गयी थी जिसकी सोशल मिडिया पर विडियो वायरल हुई जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मिनहारन पर मु 0स0अ0 389/25 व 0वि0द0भा 307 धारा 22(1-एएएबनाम अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। (, विरष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुरपुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नुकड के निर्देशन में थाना , प्रभारी विनय कुमार आजाद थाना रामपुर मिनहारन द्वारा घटना के अनावरण हेतू तत्काल ही टीम का गठन किया गया आज दिनांक 19.01.23 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मिनहारान क्षेत्र से अभियुक्त शंकर पुत्र सुलेखचन्द नि 0अमौली थाना रामपुर मिनहारान जिला सहारनपुर को नाजायज अस्लाह व कारके साथ गिरफ्तार किया गया। 0

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

- 1. शंकर पुत्र सुलेखचन्द नि0 अमौली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर बरामदगी का विवरण:-
- 1. एक तमन्चा 315 बोर व 01 कार0 जिन्दा 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्रविनय कुमार आजाद थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर 0निरी0 आजाद सिंह थाना रामपुर मनिहारन 0निरी0उप.2 सहारनपुर
- 3.उमहेश चन्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 0नि0
- अंकित थाना रामपुर 686 0का.4मनिहारान जिला सहारनपुर
- 5.काप्रवीण थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 688 0
- 6.का राहुल पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 1857 0



थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा एक वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार आजाद द्वारा गठित टीम उ विपिन कुमार द्वारा वारन्टी अभियुक्त 782 0का , रौबिल्स कुमार 0नि0राजेश कुमार पुत्र जुम्मा नि0 बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 14890/21 धारा 138 एनआई एक्ट को मा 0न्या 0अपर जिला जज सहारनपुर से जारी वारन्ट पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता -

राजेश कुमार पुत्र जुम्मा नि0 बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर **पुलिस पार्टी** –

- 1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार आजाद थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- 2. उ0नि0 रौबिल्स कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
- 3. का० ७८२ विपिन थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



<u>प्रेस नोट दिनांक 19.01.2023</u>

थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में नामजद अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को मुकदमा वापस लेने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट निर्देशन में थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत अभियोग के वादी को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर धोखाधडी के अभियोग में नामजद अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने वाले तथा जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को समय से माननीय न्यायलय पेश किया जायेगा।

नाम पता अभियुक्त

नीरज कश्यप पुत्र संतकुमार कश्यप निवासी किशनपुरा बाबा गली नजदीक शिव चाट भण्डार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर मूल निवासी मकान नंबर 779 पुरानी चुंगी मोहल्ला कहरान थाना कोतवाली सिटी सहारनपुर उम्र 32 वर्ष मु0सं0अ0- 213/406 धारा 22/504/506/बी भादवि थाना 120 मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकसमय,

अभियुक्त के मसकन मकान नंबर 779 पुरानी चुंगी मोहल्ला कहरान थाना कोतवाली सिटी सहारनपुर दिनांक 19/01/09 समय 23.बजे 05

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 2. का० ५१७ पिंकरपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- 3. का० २३६७ योगेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक 19/01/23 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार तथा 42 पव्वे देशी शराब चार्ली संतरा हिरयाणा मार्का बरामद की गई

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब व नशीला पदार्थ बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद विशष्ट थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.01.23 को एक अभियुक्त आजाद पुत्र ईश्वर निवासी रोयल सिटी कालोनी रणदेवा रोड़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर मय 42 अदद पळ्ळे देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का के थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 23/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम आजाद पुत्र ईश्वर निवासी रोयल सिटी कालोनी रणदेवा रोड़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया। अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

अभि0 का नाम व पता:-

- 1. आजाद पुत्र ईश्वर निवासी रोयल सिटी कालोनी रणदेवा रोड़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर बरामदगी का विवरण:-
 - 1. 42 अदद पव्वे देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट
- 2. 30नि0 श्री बीरबल सिंह
- 3. का0 2179 पवन कुमार



प्रेस नोट दिनांक 19/01/23 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार तथा 40 पव्वे देशी शराब चार्ली संतरा हिरयाणा मार्का बरामद की गई

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शराब व नशीला पदार्थ बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद विशष्ट थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.01.23 को एक अभियुक्त शादाब पुत्र रफीक निवासी मौ 0 नई बस्ती बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुरमय 40 अदद पव्वे देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का के थाना नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 24/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम आजाद पुत्र ईश्वर निवासी रोयल सिटी कालोनी रणदेवा रोड़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया। अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0 का नाम व पता:-

- 1. शादाब पुत्र रफीक निवासी मौ0 नई बस्ती बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर बरामदगी का विवरण:-
 - 2. 40 अदद पव्चे देशी शराब चार्ली संतरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद विशष्ट
- 5. उ0नि0 श्री निर्दोष कुमार
- 6. का० २४३० अजयपाल कुमार